डीएम ने जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में सुनी नागरिकों की समस्याएं

अरवल। जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने सोमवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में लगभग पांच लोगों ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें रखीं। इनमें आवास योजना, शस्त्र, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग से जुड़े मामले शामिल थे।

प्राप्त शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर करें कारवाई : अमृषा



डीएम ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कलेर प्रखंड के जमुहारी निवासी कंचन देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से अपना नाम हटाए जाने की शिकायत की। इस पर डीएम ने बीडीओ कलेर को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं, सेम्भुआ निवासी श्याम कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज में आंख के ऑपरेशन के दौरान हुई परेशानी और अब तक मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की। इस मामले में एनएचआरसी कोषांग एवं स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, असलानपुर निवासी जनक कुमार ने आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत की। डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने शेष मामलों का त्वरित और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यों की समीक्षा

अरवल। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इसमें जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने भाग लिया। बैठक में राज्य के सभी जिलों में विभाग के माध्यम से संचालित प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को योजनाओं की जानकारी समय पर मिल सके और वे इसका लाभ उठा सकें। बैठक में विभागीय कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन, सूचना के सुगम प्रसार तथा जनसंपर्क व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर भी चर्चा की गई। जिला प्रशासन ने सरकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बच्चों को बाल अधिकारों एवं यौन शोषण से बचाव की दी गयी जानकारी

पॉक्सो कानून, बाल विवाह और साइबर अपराध के प्रति जागरूक हुए छात्र-छात्राएं

अरवल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार अरवल के तत्वावधान में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत दिल्ली पब्लिक स्कूल के सभागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय, पैनल अधिवक्ता डॉ. राजेश चन्द्र और विद्यालय के निदेशक धर्मेन्द्र कुमार ने बच्चों को बाल अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून, साइबर अपराध तथा सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों को शोषण से बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।



उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में बिना डरे अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित प्राधिकार को जानकारी देने की अपील की। कार्यक्रम में निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर पारा लीगल वॉलंटियर नीरज कुमार उपाध्याय, वीरेंद्र कुमार, मो. इरफान अंसारी सहित विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

चोरी मामले में सातनपुर से युवक गिरफ्तार

काको, जहानाबाद। काको थाना क्षेत्र के सातनपुर गांव से पुलिस ने प्रखंड परिसर में चोरी के मामले में आरोपित मंगला कुमार को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को सिपाही विपिन कुमार प्रखंड परिसर में मौजूद थे। इसी दौरान बोरा लेकर जा रहे चार लोगों को देखकर उन्हें संदेह हुआ।

उन्होंने शोर मचाते हुए उनका पीछा किया, तो सभी भागने लगे। बाद में प्रखंड परिसर की जांच करने पर इंटरनेट का तार कटा हुआ मिला। वहीं, मौसम विभाग की ओर से लगाई गई मशीन का ताला टूटा हुआ था और उसकी बैटरी गायब थी। इस मामले में सिपाही विपिन कुमार के आवेदन पर काको थाना कांड संख्या 380/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ई) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में मंगला कुमार को इस चोरी के मामले में आरोपित किया गया था। पुलिस ने इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया है।

वासंतिक रबी प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन

वंशी (अरवल)। सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड स्थित प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय वार्षिक (रबी) प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी रंजीत कुमार झा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी संजू लता एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुशांत शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए रीड की हड्डी हैं। आपके सहयोग के बिना देश के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना नामुमकिन है। इसलिए हमारी सरकार कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत तरह की योजनाएं लाते रहती है। किसान भाई अपने-अपने मोबाइल में बिहार कृषि एप डाउनलोड कर लेंगे, तो उनको बहुत सारे योजनाओं के बारे में एवं कृषि से संबंधित समस्या का समाधान भी घर बैठे मिलता रहेगा। बस उसको आप लोग अपने उपयोग में लाने का प्रयास करें।



वही अनुमंडल पदाधिकारी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि रवि फसल खेत में लगाना बहुत जरूरी है। इससे आपकी खेत की मिट्टी को एक प्रकार से ताकत मिलता है। किसानों को संबोधित करते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुशांत शर्मा ने कहा कि आज हमारे किसान भाई केवल रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। जिसके कारण मनुष्य पशु पक्षी एवं खेत के स्वास्थ्य पर इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ रहा है। इसके बचाव केवल और केवल जैविक खेती ही है और आप लोग यह याद रखें कि स्वस्थ धरा होगी तभी किसान समृद्ध होगा।

इस मौके पर बीटीएम अनिल श्रीवास्तव, एटीएम राकेश कुमार, कृषि समन्वयक संतोष कुमार, वीरेश कुमार, किसान सलाहकार अनिल कुमार, मुकेश कुमार, रंजीत कुमार, किसान आमोद तिवारी, देव प्रसाद सिंह, सेठ सिंह, रवि शर्मा, बिट्टू यादव समेत सैकड़ो किसान उपस्थित थे।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

अरवल। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सोमवार को समकालीन साइबर खतरे एवं उनका निवारण' विषय पर पांच दिवसीय फैकल्टी अपडेशन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 26 से 30 अक्टूबर तक आयोजित इस कार्यक्रम का प्रायोजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आईएसईए प्रोजेक्ट फेज-प्प्प् के तहत किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को साइबर सुरक्षा की नवीनतम चुनौतियों, बढ़ते साइबर अपराधों, डेटा सुरक्षा और ऑनलाइन खतरों से बचाव की आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सैद्धांतिक सत्र कक्ष संख्या 102 और प्रायोगिक प्रशिक्षण पीपीएस लैब में आयोजित हो रहा है। आईआईटी पटना के निदेशक प्रो. अमित पात्रा कार्यक्रम के संरक्षक हैं। प्रो. सोमनाथ त्रिपाठी और प्रो. जिमसन मैथ्यू सहित महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रणव कुमार कार्यक्रम के संचालन एवं समन्वय में भूमिका निभा रहे हैं।

एसपी ने जनता दरबार में 22 की सुनी फरियाद

जहानाबाद। पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 22 फरियादियों की शिकायतें सुनी। पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक फरियादी की शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और विस्तृत जानकारी ली। जनता ने भूमि विवाद, मारपीट, पारिवारिक विवाद, साइबर अपराध, लंबित मामलों की जांच और कानून-व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न



शिकायतें दर्ज कराईं। शिकायतों के निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण पर जोर देते हुए, पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है और प्रत्येक शिकायत पर संवेदनशीलता तथा पारदर्शिता से कार्रवाई होनी चाहिए। फरियादियों को आश्वासन दिया गया कि उनकी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निष्पादन में कोई लापरवाही न बरती जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। जनता दरबार से लोगों को अपनी समस्याएं सीधे पुलिस प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिला, जिससे त्वरित समाधान की दिशा में प्रभावी पहल हुई।

वर्गीकृत

शपथ पत्र

मैं, पुतुल कुमारी, पति-बलिराम कुमार चौधरी, निवासी-ग्राम+पो.-लक्ष्मण नगर बिहियां वार्ड नं.-03, थाना-बिहिया, जिला-भोजपुर, बिहार शपथ पत्र सं. 27113 दि. 15.06.26 द्वारा सूचित करती हूं कि मेरे आधारकार्ड सं. -324196764298 में मेरा नाम पुतुल कुमारी है। मैट्रिक सहित सभी प्रमाण पत्रों में पिंकी कुमारी दर्ज है। दोनों नाम एक ही महिला का है, जो मैं स्वयं हूं। भविष्य में मैं पिंकी कुमारी के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

9/482/26

शपथ पत्र

मैं, बादल सिंह पटेल, पिता-रवि चौधरी ग्राम+पो.-दावां, थाना-जगदीशपुर, जिला-भोजपुर, बिहार शपथ पत्र सं. -10447 दि. 05.10.26 द्वारा सूचित करता हूं कि आधारकार्ड सं. 442725342423 में मेरा नाम बादल कुमार एवं जन्म तिथि 01.01.2005 दर्ज है, जो गलत है। मैट्रिक प्रमाण पत्र में बादल सिंह पटेल एवं जन्म तिथि 17.09.2010 है, जो सही है। आगे मैं बादल सिंह पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

9/482/26

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा देवी पति सतीश दास ग्राम थाना गौरीचक, जिला पटना का निवासी हूं व शपथपूर्वक घोषणा करती हूं कि मेरे आधार में मेरा नाम सरभौती कुमारी अंकित है, जो त्रुटि पूर्ण है। मेरे पैन कार्ड एवं मतदाता सूचि में मेरा नाम पूजा देवी अंकित है, जो सत्य है और पूजा देवी के नाम से जानी-पहचानी जाती हूं। Aff no.-5192 Date-29.09.2026

Name Change

I, Durga Singh W/o Arun Kumar R/o Flat No.-202, Shadhu Sharan Apartment, Post-Lohiya Nagar P.S. Kankarbagh, District Patna, Bihar-800020 vide Affidavit No. 375 dated 23 Oct. 2026 declare that my name mentioned in educational documents is Durga Kumari and as per Aadhar card and Pan card Durga Singh. Now I will be known as Durga Singh for all purposes.

CM-939

AFFIDAVIT

I, Parbati Kumari, D/O- Late Deonandan Prasad R/o- Usri Khurd Kothiyan Road Par PO-Khagaul PS- Shahpur Dist-Patna Pin- 801105 shall henceforth be known as Parbati Devi. Both names refer to same individual. Aff. No.-1044 Date 14.10.2026

नाम परिवर्तन

मैं, रतन कुमार झा पिता स्व. मनिन्द्र झा निवास बसनही वार्ड नं. 3 पो.-बसनही थाना-बसनही जिला-सहरसा-852115 शपथ पत्र सं.-701 ता. 10.8.2026 द्वारा यह घोषणा करता हूं कि हमारे सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम रतन कुमार झा दर्ज है लेकिन मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रत्नेश्वर झा अंकित है, जो गलत है। अब मैं रतन कुमार झा के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा।

रसीद सं. 943

खोया-पाया

मैं, नीतीन पाण्डेय (उम्र 38) सुपुत्र श्री निर्भय कुमार पाण्डेय, स्थायी पता-6/2जे-39 इन्दिरा नगर,चित्तईपुर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) शपथ पत्र द्वारा आम आवाम को सूचित करता हूं कि डॉ अबुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश(UPTU) लखनऊ से बी टेक(बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) सत्र वर्ष 2007-2011 का पास आउट डिग्री कोर्स का मूल अंक पत्र सहित कुछ जरूरी कागजात यात्रा के दौरान कहीं गुम हो गया है। मेरा युनिवर्सिटी इनरॉल/नामांकन संख्या 071231033843 एवं युनिवर्सिटी रौल नंबर 071230045 है।

Affidavit

I, Ehteshamul Haque Hashmi, son of Late Syed Anwarul Haque, resident of vill.+P.O.+P.S.-Daudpur, District-Saran, Bihar-841205, do hereby solemnly affirm and declare as follows :- That Safa Hashmi is my daughter. That in her Aadhar card her name has been wrongly mentioned as SAF A ENTESHAM. That my daughter correct name is Safa Hashmi. That now my daughter will known as Safa Hashmi for all purposes.vide aff. No.-5466 dated 23.10.26

CM-935

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वतः जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।

प्रबंधक

शपथ पत्र

मैं मणी देवी (Mani Devi) पिता-रामलला सिंह, रामचरण टोला, ग्राम- बड़हिया, वार्ड नं.-4, पोस्ट+थाना- बहड़िया, जिला-लखीसराय, बिहार- 811302 की स्थायी निवासी हूं तथा शपथपूर्वक निम्नलिखित बातों का घोषणा करती हूं मेरा आधार कार्ड संख्या-983582603308 जिसपर मेरा नाम मणी देवी, पति-रामलला सिंह दर्ज है, यह है कि मेरे पुत्र के सर्विस बुक रिकार्ड पर मेरा नाम अंजू देवी (Anju Devi) पति रामलला सिंह दर्ज है, मैं यह शपथ पत्र अपना सही एवं वास्तविक नाम मणी देवी (Mani Devi) ति-रामलला सिंह गजट में नाम करवाने वास्ते मैं यह शपथ पत्र दे रही हूं यह कि मैं अब अंजू देवी (Anju Devi) के जगह पर मणी देवी (Mani Devi) के नाम से भविष्य में सभी कार्यों के लिए जानी व पहचानी जाऊंगी। शपथ पत्र सं.-4099, दिनांक 23.10.2026

शपथ-पत्र

मैं, विश्व रंजन कुमार पिता - मनोज कुमार ग्राम - बालागढ़ पो.- आनंदपुर थाना - रामपुर चौरम जिला- अरवल मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम विश्व रंजन कुमार अंकित है एवं सभी दीक्षणिक प्रमाणपत्रों में मेरा नाम आशीष रंजन है दोनों नामों से जाना जाता हूं। भविष्य में आशीष रंजन के नाम से जाना जाऊंगा। शपथ पत्र सं.-17378 दिनांक 22.07.2026

शपथ-पत्र

मैं, अभिषेक राज पुत्र - शिवजी प्रसाद पटना सेंट्रल स्कूल के नजदीक, न्यू जगनपुरा, पटना - 800027 बिहार शपथ पत्र सं. 3162 दिनांक 02.09.2026 के अनुसार अभिषेक सिन्हा के नाम से जाना जाऊंगा।

For Sale/ eAuction: Wet damaged Dalmia Cement - 4952 Bags lying at Bettiah, Bihar – 845438 Contact Person for Physical Inspection - Mr. Jaiprakash Sharma (Godown Keeper) - 9934547475. Last Date For Inspection & EMD Deposit - 30.10.2026 & Date Of E-auction- 31.10.2026 (3PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta-9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever Therels' And' No Complaint' Basis).
For More details
www.salvagemanagers.com/
support@salvagemanagers.com.

नाम परिवर्तन

मैं, रूकमणी देवी पति सत्यानन्द सिंह निवास-रामदिरी (सीताकुण्ड) पो.-नावागढ़ी थाना-मुफसिल जिला-मुंगेर शपथ पत्र सं. 1489 ता. 15.10.26 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रूकमणी देवी है। घरेलू नाम सिन्धु देवी है। रूकमणी देवी एवं सिन्धु देवी दोनों नाम मेरा ही है। मैं इन दोनों नामों से जानी एवं पहचानी जाती हूं। अब मैं सभी कार्यों के लिए रूकमणी देवी के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

रसीद सं.-942

शपथ पत्र

मैं, राम शोभित प्रसाद (Ram Sovit Prasad) पिता-राजकुमार राय साकिन-नयाटोला, सिमरी पो.+थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना बिहार-803212 आधार संख्या 833785079853 शपथ पत्र संख्या 27014 दिनांक 16.10.26 के द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं असम राइफल में हवलदार के पद पर पदस्थापित हूं, जिसका सर्विस नं. 2850842P है। मेरे सर्विस बुक में मेरे परिवार का नाम निम्न प्रकार दर्ज है। मेरा नाम Ram Safit Prasad मेरी पत्नी का नाम Parmila Devi पुत्री का नाम Lilan Kumar पुत्र का नाम Rakesh Kumar जन्म तिथि 01.01.1999 है जो गलत है। मेरा नाम Ram Sovit Prasad पत्नी का नाम Pramila Devi पुत्री का नाम Nilam Devi पुत्र का नाम Rakesh Kumar जन्म तिथि 31.12.2003 जो सही है।

CM-6652

आलू भंडार से 50 हजार रुपये भरा बक्सा चोरी

कुर्था (अरवल)। स्थानीय कुर्था बाजार में चोरी की घटना से व्यवसायियों में चिंता का माहौल है। बाजार स्थित मस्जिद के सामने द्वारिका साब के मुन्ना आलू भंडार से एक अज्ञात व्यक्ति करीब 50 हजार रुपये नकद से भरा बक्सा लेकर फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आलू भंडार में व्यवसायी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। इसी दौरान बाजार में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर एक अज्ञात व्यक्ति दुकान में रखा रुपये से भरा बक्सा लेकर फरार हो गया। बक्से में करीब 50 हजार रुपये नकद होने की बात बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बाजार के दुकानदारों के बीच हलचल मच गई। बाजार के व्यस्त इलाके में चोरी की इस घटना से स्थानीय व्यवसायियों में अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में लगातार लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की सतर्कता के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।

इधर, घटना की जांच में जुटी कुर्था थाने की पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। थानाध्यक्ष चंदन कुमार झा के नेतृत्व में अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने और चोरी गए रुपये की बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सड़क सुरक्षा, अवैध खनन और नशे के कारोबार पर सख्ती के निर्देश

डीएम-एसपी ने की पांच जिला स्तरीय समितियों की समीक्षा बैठक

अरवल। जिलाधिकारी अमृषा बैंस एवं पुलिस अधीक्षक किरण कुमार गौरख जाधव की संयुक्त अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में विभिन्न जिला स्तरीय समितियों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा



समिति, खनन टास्क फोर्स, जिला स्तरीय निगरानी समिति, एनसीओआरडी तथा नीलाम पत्र वादों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। वहीं, मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने के साथ युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन और बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। डीएम-एसपी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय, जवाबदेही और नियमित निगरानी के साथ लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

स्वच्छताकर्मियों के साथ मारपीट

रतनी, जहानाबाद। शकूराबाद थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार शकूराबाद में स्वच्छता कार्य में लगे स्वच्छता कर्मियों के साथ हुई मारपीट घटना को लेकर कर्मियों ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। अपने आवेदन में स्वच्छता कर्मी योगेंद्र कुमार, विकास ठाकुर, कांति देवी सहित चार लोगों ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि सोमवार को सुबह 8:30 बजे शकूराबाद घेजन रोड स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय के समीप सड़क की सफाई कर रहे थे। इस दौरान शकूराबाद बाजार निवासी रूबी टेंट हाउस के मालिक समीम मियां एवं उनके पुत्र आए और गाली गलौज करने लगे जब गाली देने से मना किया तो लोग मारपीट करने लगे। इस घटना को मारपीट की घटना को लेकर स्वच्छता कर्मियों ने बताया कि जब तक मारपीट करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक शकूराबाद बाजार में सफाई एवं कचरा उठाव कार्य नहीं किया जाएगा।

एसपी के जनता दरबार में 16 ने रखीं समस्याएं

शिकायतों के त्वरित निष्पादन को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश

अरवल। पुलिस अधीक्षक किरण कुमार गोरख जाधव ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान कुल 16 आगंतुकों ने अपनी शिकायतें एवं समस्याएं पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखीं। एसपी ने सभी की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और उनके त्वरित एवं नियमानुसार निष्पादन के लिए



संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनता दरबार के दौरान एसपी ने शिकायतों के समाधान में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों की उचित जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके। पुलिस प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना तथा उनके समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।

मखदुमपुर बाजार में फुटपाथी दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण

मखदुमपुर। मखदुमपुर बाजार में सोमवार को नगर पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर सड़क किनारे लगी फुटपाथ की दुकानों को हटाया गया। इस दौरान थाना के सामने सड़क किनारे लगी दुकानों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। प्रशासन ने दुकानदारों को निर्धारित स्थान पर दुकान शिफ्ट करने का निर्देश दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई दुकानदारों में अफरा-तफरी देखी गई। दुकानदार आनन-फानन में अपनी दुकानें हटाने लगे। अभियान में नगर पंचायत के सिटी मैनेजर, टैक्स दारोगा और मखदुमपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे से दुकानों को हटाया गया। नगर पंचायत प्रशासन के अनुसार, बाजार में सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा था। कुछ दुकानदारों को पहले ही दुकान हटाने की सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराया।



समाहरणालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित

अरवल। समाहरणालय परिसर में सोमवार को जिलाधिकारी अमृषा बैसकी अध्यक्षता में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डीएम ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति अपनाने की



शपथ दिलाई। सभी ने अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं जवाबदेही के साथ करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखना प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने भ्रष्ट आचरण से दूर रहते हुए निष्पक्षता और ईमानदारी से कार्य करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं समाहरणालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने सभी कर्मियों से सतर्कता सप्ताह के उद्देश्यों को दैनिक कार्य व्यवहार में अपनाने की अपील की।